

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा निर्वाचन, छत्तीसगढ़

विधान सभा भवन, रायपुर

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 23

[नियम 84 (1) (क) देखिये]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –


सुश्री सरोज पांडेय, 1/ए स्ट्रीट, 7/बी, फेज-1, मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई (छ.ग.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं।

उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : रायपुर

दिनांक : 23 मार्च, 2018




रिटर्निंग ऑफिसर
रिटर्निंग ऑफिसर
राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन

**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER,
COUNCIL OF STATES ELECTION,
CHHATTISGARH
VIDHAN SABHA BHAVAN**

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

Form – 23

[See Rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election When seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation
of the People Act, 1951


Election to the Council of States by the Members of Chhattisgarh
Legislative Assembly.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the
Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

**Ms. Saroj Pandey, 1/A, Street 7/B, Phase –1, Maitri Nagar,
Risali, Bhilai (C.G.) Sponsered by Bhartiya Janta Party** has been duly
elected to fill the seat in that House of one member retiring on 2nd April,
2018 on the expiration of their term of office.

Place : Raipur

Date : 23 March, 2018


Returning Officer.

RETURNING OFFICER
ELECTION FOR COUNCIL OF STATES